संख्या–2425/38–6–09–129एलसी/09

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक–20 अक्टूबर, 2009

विशयः– बी0पी0एल0 सूची 2002 में मृतक परिवारों के चिन्हांकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

बी0पी0एल0 सूची–2002 के पात्र परिवारों के नाम जोड़े जाने तथा अपात्र परिवारों के नाम निरस्त किये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–1796(अ)/38–6– 2007 –129 एलसी /2001, दिनांक–4–10–2008 के अनुकम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा 'एकल सदस्य परिवार तथा निःसन्तान वृद्ध दम्पत्ति' श्रेणी के मृतक बी0पी0एल0 परिवारों को चिन्हित किये जाने का निर्णय लिया गया है।'एकल सदस्य परिवार' तथा 'निःसन्तान वृद्ध दम्पत्ति' श्रेणी के मृतक बी0पी0एल0' परिवार का आशय उस 'Single Member Family' अथर्वा 'Childless Old Couple' से है, जिनमें पति–पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाय।

2– कृपया उक्त आधार पर अपने जनपद में 'एकल सदस्य परिवार' तथा 'निःसन्तान वृद्ध दम्पत्ति' श्रेणी के मृतक बी0पी0एल0 परिवारों का तत्काल चिन्हांकन कराते हुए उसकी रिपोर्ट दिनांक– 31 अक्टूबर, 2009 तक आयुक्त, ग्राम्य विकास को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या–2425 (1)/38–6–09–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3– आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0 लखनऊ।
4– समस्त मण्डलायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
5– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6– समस्त जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उ0प्र0।
7– समस्त जिला सूचना अधिकारी, उ0प्र0।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।